राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–586/2025

सुविता मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गौरव सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर पीएचसी, कांकरिया खेतडी, जिला झुन्झुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण उप स्वास्थ्य केन्द्र, सदरासर, ब्लॉक सांकडा, जिला जैसलमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की छोटी संताने है और वर्तमान में अध्ययनरत हैं। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से उनकी पढाई पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी के पैर में Arthritis की बीमारी है, जिससे अपीलार्थी को चलने

में कठिनाई का सामना करना पडता है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडेगा।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान पद पर वर्ष 2007 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण 18 वर्ष के पश्चात किया गया है। ऐसा कोई तथ्य अपीलार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रकट होता हो कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)